

काले धन की वसूली

भारतीय निवासियों द्वारा विदेश में बैंक खाते खोलने तथा प्राधिकृत चैनलों के जरिए निधियों को देश से बाहर या भीतर लाने ले जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वैधिक ढांचा उपलब्ध है ।

विदेशों में भेजी गई अवैध रूप से अर्जित निधियों का निपटारा करने, ऐसी अवैध परिसंपत्तियों को जब्त करने एवं उन्हें भारत वापस लाने के उपायों तथा अपराधियों को दण्डित करने के लिए विद्यमान विधिगत ढांचा निम्नानुसार है:

क. मनी लॉन्डरिंग निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत, प्रतिपादित अनुसूचित अपराधों के माध्यम से वैध बनाए गए धन को अभिग्रहण द्वारा कुर्क किया जा सकता है तथा अवैध धन को वैध बनाने में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों और अन्य वैधिक इकाइयों पर अभियोजन चलाया जा सकता है । पीएमएलए में न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास (जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) तथा 5 लाख रुपए तक के जुमाने का प्रावधान है तथा विदेशों में जमा काले धन को परस्पर वैधिक सहायता संधियों के माध्यम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है । भारत ने 26 देशों के साथ ऐसी संधियां की हुई हैं ।

ख. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत, भारतीय निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा के लेनदेन में कानून के उल्लंघन संबंधी मामलों में अंतर्ग्रस्त धनराशि के तीन गुना तक अधिकतम जुमाने के साथ फैसला किया जा सकता है । इसके

अतिरिक्त, फेमा विदेशों में मौजूद धनराशियों को जब्त करने तथा उन्हें स्वदेश में वापस लाने की शक्ति प्रदान करता है ।

ग. दोनों कानूनों (फेमा और पीएमएलए) के अंतर्गत, विशिष्ट सूचना के आधार पर व्यक्ति-विशेष के विरुद्ध नैसर्गिक एवं वैधिक दोनों प्रकार से अन्वेषण किया जाता है ।

घ. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 105क में किसी अपराध के द्वारा अर्जित संपत्तियों की कुर्की और समपहरण की सदृश व्यवस्था और प्रक्रिया का प्रावधान है । यदि ऐसी संपत्तियां विदेशों में स्थित हैं तथा भारत सरकार और अन्य देश के बीच संधि व्यवस्थाएं मौजूद हैं तो ऐसे किसी आदेश को लागू करने के लिए दूसरे देश के न्यायालय/प्राधिकरण को लेटर रोगेटरीज़ जारी किए जा सकते हैं ।

ड.. आयकर अधिनियम के अंतर्गत भी ऐसी अर्जित आय, जिसके बारे में बताया न गया हो, कर योग्य है तथा इसके लिए जुर्माना तथा ब्याज लगाया जा सकता है और अभियोजन भी किया जा सकता है । वसूल की गई राशि पूर्ण अघोषित आय से अधिक भी हो सकती है । यह एक प्रकार से ऐसी आय/संपत्ति का अधिहरण ही है ।

की जा रही कार्रवाई

I. भारत ने 44 देशों के साथ दोहरे कर परिवर्जन संबंधी करारों पर वार्ताएं/पुनर्वार्ताएं की हैं और कर सूचना आदान-प्रदान करारों को अंतिम रूप दिया है ताकि कर अपवंचन, अवैध धन को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) तथा अन्य आपराधिक/अवैध कार्यकलापों से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान को सुदृढ़ किया जा सकता है ।

II. इन कानूनों को प्रवर्तित करने वाली एजेंसियों को सुदृढ़ किया गया है तथा ऐसे सभी मामलों पर कार्रवाई की जा रही है जिनके बारे में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध है ।

